भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4117

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

लंबित अदालती मामले

4117 डा. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित सभी मामलों के आंकड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इतने अधिक मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या खराब अवसंरचना मुख्य कारणों में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश के अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेब पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी/डाटा के अनुसार, 1 अप्रैल, 2022 तक, राजस्थान राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में सभी लंबित मामलों की संख्या 20,94,829 है ।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटारा विभिन्न कारकों पर

निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग जैसे कि बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और मुवक्किल और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । ऐसे कई कारक है जिनसे मामलों के निपटान में विलंब होता हैं । इनमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों के पदों का रिक्त होना, बारंबार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी, खोज और एकत्रण की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है ।

न्यायापालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्रारंभिक जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है । राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, संघ सरकार, केन्द्र और राज्य के बीच विहित निधि शेयरिंग पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना लागू कर रही है । यह योजना 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है । यह जिला और अधीनस्थ न्यायपालिक के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय आवास के संनिर्माण को कवर करती है । इस योजना के प्रारंभ से अब तक 9,009.38 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 2014-15 से अब तक 5565.08 करोड़ रुपए (61.77%) जारी किए जा चुके हैं । इस योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय शामिल है जिसमें 5,307.00 करोड़ रुपए का केन्द्रीय हिस्सा शामिल है । न्यायालयों हालों और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के अतिरिक्त, इस योजना में अब जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों के हाल, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष और शौचालय परिसरों का निर्माण भी शामिल है । जहां तक राजस्थान सरकार का संबंध है, अब तक 328.12 करोड़ रुपए की रकम जारी की जा चुकी है ।

केन्द्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक पारिस्थितीकीय तंत्र प्रदान करने के लिए सरकार ने कई पहलें की है ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय

प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले सात वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) **<u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:</u>** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज तक 9,009.38 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 17.03.2022 तक 20,812 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 17.03.2022 तक 18,338 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2767 न्यायालय हाल और 1,651 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा।

(ii) **<u>न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना</u> :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । अभी तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 98.9 प्रतिशत न्यायालय परिसरों को वॉन (डब्लूएएन) संयोजकता प्रदान की गई है । मामले की सूचना साफ्टवेयर का नया और उपयोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 02.03.2022 को यथाविद्यमान, वादी इन न्यायालयों से संबंधित 19.92 करोड़ मामलों तथा 16.81 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची,

मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी) के माध्यम से, ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से वादियों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3,240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 तत्स्थानी कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा वर्चुअल सुनवाई के संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा वादियों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 475 ई-सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचारण हेतु 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छतीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में सत्रह वर्चुअल न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 03.03.2022 तक इन न्यायालयों ने 1.32 करोड़ से अधिक मामले निपटाए तथा 229.22 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 30.01.2022 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 1,11,40,223 मामलों में सुनवाइयां और उच्च न्यायालयों ने 60,21,688 मामलों में सुनवाइयां (कुल 1.71 करोड़) की हैं । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 14.03.2022 तक 2,18,891 सुनवाइयां की थी ।

(iii) **<u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना</u> :** तारीख 01.05.2014 से 17.03.2022 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 44 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 710 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 588 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या को मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1104 किया गया है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
01.04.2022	24,521	19,341

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **<u>बकाया समितियों के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी</u>:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई हैं। उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए उपाय प्रतिपादित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में बकाया समिति गठित की गई है । पूर्व में विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है । विभाग ने मलिमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण के संबंध में सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

(v) **<u>वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना</u>:** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित), वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **<u>विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल</u> :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंतर्वलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है । 31.01.2022 को यथाविद्यमान, जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध

अपराधों, आदि के लिए 915 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान दांडिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों /संघ राज्यक्षेत्र (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए और 15.03.2022 तक वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 62.23 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में 399 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित 712 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने 28.02.2022 तक 81,462 मामलों का निपटान किया है । त्वरित निपटान न्यायालय स्कीम को 971.70 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश सहित कुल 1572.86 करोड़ रुपए की लागत से दो और वर्षों (2021-23) के लिए जारी रखने का अनुमोदन किया गया है ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****